भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 147
(22 नवम्बर, 2011 को उत्तर दिए जाने के लिए)
गरीबी प्राक्कलन संबंधी उच्चतम सीमा को हटाना

147. श्री रामदास अग्रवालः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्री जी ने गरीबी प्राक्कलन संबंधी उच्चतम सीमा को हटाने को कहा है जिसकी वजह से सरकारी योजनाओं से होने वाले लाभों को लेने के लिए गरीबों की संख्या सीमित हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार यह महसूस करती है कि गरीबी प्राक्कलन के लिए कोई अभिनिर्धारित सीमा होनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक राज्य में गरीबी का स्तर भिन्न-भिन्न है तथा गरीबी रेखा से नीचे का सर्वेक्षण भी हर बार गरीबों की संख्या को बढ़ा देता है; और

(घ) सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने की संभावना है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग) : उपाध्यक्ष, योजना आयोग और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने 3 अक्तूबर, 2011 को एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि योजना आयोग की मौजूदा प्रक्रियाविधि का उपयोग करके वर्तमान राज्यवार गरीबी अनुमानों का विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं में शामिल करने हेतु परिवारों की संख्या संबंधी अधिकतम सीमा-निर्धारण के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(घ) : योजना आयोग ने सूचित किया है कि उन्होंने तेंदुलकर समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

*****